


14534

27/04
16/8/04

9956

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत सरकार मुद्रणालय...
दिनांक 29.4.04
REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-350
Km. 30
Deptt. 100
CPB-220

सं. 187]
No. 187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2004/चैत्र 27, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2004/CHAITRA 27, 1926

भारतीय रिजर्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केन्द्रीय कार्यालय)
शुद्धिपत्र
मुम्बई, 1 अप्रैल, 2004

सा.का.नि 262(अ).—जुलाई 9, 2003 के सा.का.नि. 531(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के जनवरी 8, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा- 80/2003-आरबी के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 की सं. सा.का.नि. 386(अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थीं और तत्पश्चात् अगस्त 14, 2000 के सं. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक अप्रैल 29, 2002 के सं. सा.का.नि. 476(अ) और नवम्बर 1, 2002 के सं. सा.का.नि. 854(अ) द्वारा संशोधित की गई।

उपरोक्त के अनुसार सुधारित और संशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेंगी।

[सं. फेमा-80/2003-आरबी]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
CORRIGENDUM
Mumbai, the 1st April, 2004

G.S.R. 262(E).--In the Notification No. FEMA. 80/2003-RB dated January 8, 2003 of Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 531(E) dated July 9, 2003, the following shall be added at the end.

Footnote : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 386(E), dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 674(E), dated August 14, 2000, No. G.S.R. 476(E), dated April 29, 2002 and No. G.S.R. 854(E), dated November 1, 2002.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[No. FEMA-80/2003-RB]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 1 अप्रैल, 2004 .

सा.का.नि 263(अ).—जुलाई 9, 2003 के सा.का.नि. 532(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के जनवरी 8, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा-81/2003-आरबी के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 की सं. सा.का.नि. 411(अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थीं और तत्पश्चात् सितम्बर 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 756(अ), दिनांक मार्च 5, 2002 के सं. सा.का.नि. 264(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2002 के सं. सा.का.नि. 579(अ) और अगस्त 26, 2002 के सा.का.नि.सं. 222(अ) द्वारा संशोधित की गईं।

उपरोक्त के अनुसार सुधारित और संशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेंगी।

[सं. फेमा-81/2003-आरबी]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 1st April, 2004

G.S.R. 263(E).—In the Notification No. FEMA- 81/2003-RB dated January 8, 2003 of Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 532(E) dated July 9, 2003, the following shall be added at the end.

Foot-note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 411(E), dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* No. G.S.R. No. 756(E), dated September 5, 2000, No. G.S.R. 264(E), dated March 5, 2002, No. G.S.R. 579(E), dated July 27, 2002 and No. G.S.R. 222(E), dated August 26, 2002.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[No. FEMA-81/2003-RB]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 1 अप्रैल, 2004

सा.का.नि 264(अ).—जुलाई 9, 2003 के सा.का.नि. 533(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के जनवरी 10, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा- 82/2003-आरबी के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 की सं. सा.का.नि. 386(अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थीं और तत्पश्चात् अगस्त 14, 2000 के सं. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक अप्रैल 29, 2002 के

सं. सा.का.नि. 476(अ), दिनांक नवम्बर 1, 2002 के सं. सा.का.नि. 531(अ) और जनवरी 8, 2002 के सं. सा.का.नि. 531(अ) द्वारा संशोधित की गई।

उपरोक्त के अनुसार सुधारित और संशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेंगी।

[सं. फेमा-82/2003-आरबी]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 1st April, 2004

G.S.R. 264(E).—In the Notification No. FEMA-82/2003-RB dated January 10, 2003 of Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003, the following shall be added at the end.

Foot-note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 386(E), dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 674(E), dated August 14, 2000, No. G.S.R. 476(E), dated April 29, 2002, No. G.S.R. 854(E), dated November 1, 2002 and No. G.S.R. 531(E), dated January 8, 2003.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[No. FEMA-82/2003-RB]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director